# राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक: रा.मा.शि.प/जय/फा. 60706/2017–18/ 8605 दिनांक: 29/11/2017

जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि./ प्रा.शि.
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
रमसा/एसएसए, समस्त जिले।

**विषय :– दिनांक 05.12.2017 एवं 08.12.2017 को प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए आयोजित एसआईक्यूई प्रसारण के क्रम में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आईसीटी तृतीय चरण में उपलब्ध सैटेलाइट प्रसारण सुविधा के माध्यम से एसआईक्यूई विषय पर प्राथमिक कक्षाओं को अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों हेतु **माह दिसम्बर 2017 मे निम्नानुसार कार्यशालाएं प्रसारित की जानी है –**

| क्र.स | माह | सम्मिलित होने वाले शिक्षक | प्रसारण दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | दिसम्बर | कक्षा 1 से 5 को गणित व अंग्रेजी पढाने वाले समस्त शिक्षक | 05 दिसम्बर 2017 |
| 2 | | कक्षा 1 से 5 को हिन्दी व पर्यावरण पढाने वाले समस्त शिक्षक | 08 दिसम्बर 2017 |

इन प्रसारणों में एसआईक्यूई कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियां, यथा – विषयवार गतिविधि आधारित शिक्षण के वीडियोज, अभिलेख संधारण, पेनल चर्चा, शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं उपयोग, योगात्मक आकलन आदि प्रसारित की जायेगीं। प्रसारण समय प्रात 10:30 बजे 3:30 बजे तक रहेगा।

अतः आप अपने जिले के राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं को पढाने वाले शिक्षकों को उपरोक्त तिथियों में निर्धारित समय पर प्रसारण केन्द्रों (पूर्व निर्धारित तृतीय चरण के आईसीटी क्लस्टर विद्यालय) पर उपस्थिति देने हेतु आदेशित करें।

प्रसारण की उपलब्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही संपादित करें –

1. प्रसारण की जानकारी सभी शिक्षकों तक पहुँच जाये इसके लिए शाला दर्पण के माध्यम से संकलित ई–मेल एवं मोबाईल नं. पर आदेश /सन्देश भेजे। साथ ही स्थानीय समाचार पत्रो में खबर प्रकाशित करवाये।
2. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत समस्त स्टाफ यथा शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप. के कार्यक्रम अधिकारी, डीएसएफ आदि को किसी केन्द्र पर सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें।
3. राज्य की डाइट के स्टाफ को भी डाइट के समीपस्थ प्रसारण केन्द्र पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
4. तृतीय चरण के समस्त आईसीटी विद्यालयों में प्रसारण अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से देखा व सुना जा सके इसके लिए जिले में कम्प्यूटर सेवाप्रदाता एजेन्सी की ओर से कार्यरत जिला समन्वयक एवं विद्यालय समन्वयकों (प्रत्येक 5 विद्यालयों पर एक) की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश देकर उपकरणों (टी.वी, ऐन्टीना, इन्टरनेट कनेक्शन) की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
5. प्रसारण के दौरान शिक्षक अपने प्रश्न स्टूडियों के दूरभाष नम्बर 0141–2770126, 2770045 पर पूछताछ कर सकते है। अतः सभी केन्द्रों पर स्टूडियो दूरभाष नम्बर की जानकारी प्रदान करें।

यह गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं को पढाने वाले शिक्षकों को एसआईक्यूई परियोजना के अन्तर्गत सीसीई एवं सीसीपी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देने के क्रम में आयोजित की जा रही है। अतः इस प्रयास को सफल बनायें।

**(सुरेश चन्द्र)**
**अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक,**
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

D:\d drive\ICT/ICT Letter

www.rajteachers.com

**प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –**

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप. जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त, राप्राशिप. जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को देकर निवेदन है कि उक्त वीसी में प्रभारी अधिकारी को भिजवाने का श्रम करें।
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को देकर निवेदन है कि उक्त वीसी में प्रभारी अधिकारी को भिजवाने का श्रम करें।
6. निजी सहायक, निदेशक, एसआईईआरटी. उदयपुर को देकर निवेदन है कि उक्त वीसी में प्रभारी अधिकारी को भिजवाने का श्रम करें।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रारम्भिक शिक्षा में प्राथमिक कक्षाओं को ( कक्षा 1 से 5 तक ) अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को भी वी.सी सेन्टर पर सहभागिता हेतु निर्देश जारी करवाने का श्रम करें।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप. जयपुर।
9. उपायुक्त, रामाशिप. जयपुर।
10. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिला।
11. उपनिदेशक, आईसीटी, रामाशिप. जयपुर।
12. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप./राप्राशिप. को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार निर्धारित तिथि को आयोजित वी.सी में विषयानुसार शिक्षकों की शतप्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करवायें।
13. यूनिसैफ, जयपुर।
14. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर को देकर लेख है कि प्रसारण सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करवायें।
15. एसआईक्यूई नोडल प्रभारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
16. संस्था प्रधान समस्त राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय।
17. कॉम्प्यूकॉम प्रा.लि. एवं आई एण्ड एलएफ, को प्रेषित कर लेख है कि आईसीटी तृतीय चरण विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण प्रसारण सुनिश्चित करें तथा **दिनांक 05.12..2017 एवं 08.12..2017** को स्टूडियों मे गुणवत्तापूर्ण प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित करवायें।
18. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वैब साईट पर अपलोड कार्यवाही हेतु।
19. शाला दर्पण, प्रभारी रामाशिप. जयपुर।
20. कार्यालय प्रति।

**अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक,**
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

www.rajteachers.com

D:\d drive\ICT/ICT Letter